प्र. सं. 188/2023

तारीख हुक्म	मनवान मोहनलाल बनाम सुरजमान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-5-2025	पत्रावली आज पेशी में ली गई। बहस आपत्ति विभाजन प्रस्ताव सुनी जा चुकी है। आपत्ति प्रार्थना पत्र व जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रेषित विभाजन प्रस्ताव राज. का. अधि. (राजस्व मण्डल) नियम 18 ता 21 की पालना में खाला रास्ता का ध्यान रखते हुए पेश किया गया जिसके अनुसार :-	
(क)	प्रत्येक काश्तकार को आवंटित किये गये भाग का मूल्य उसी कीमत में होगा जितना कि उसका हिस्सा कृषि जोत था।	
(ख)	संभवतः आवंटित भाग कॉम्पैक्ट होगा।	
(ग)	संभवतः विद्यमान क्षेत्रों को हिस्सों में नही बांटा जायेगा।	
(घ)	जहां तक संभव हो, प्लॉट जो कि आराजी के अलग [illegible] हो, उनको आराजी [illegible] दिये जायेंगे जब तक कि [illegible] उसमें हिस्से से अधिक न हो।	
	अतः तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उक्त नियमों के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:50:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अनुरूप होने के कारण प्राप्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, लिहाजा आपत्ति अस्वीकार कर वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:50:44 IST
Reason: SelfAttested